न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 101/2023

GCMS No. : 2023/218

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
अजय कुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर		1. श्री अरविन्दसिंह पुत्र सतेन्द्रसिंह Supervisor on Board Catering Services Train no. 16507/16508 C/O M/S Doon Caterers 5198 Basant Road Paharganj New Delhi 11055 House Address-Char Gar Ka Pura PO- Nunhata Dist- Lohar (MP) 477332 2. Sh. Sushil Tandan S/O Krishan Tendon M/S Doon Ceterers, 5198 Basant Road Paharganj New Delhi 110055 House Address - C 40 Nehru Colony Dehradun Uttarakhand 248001 3. Doon Caterers 5198 Basant Road Paharganj New Delhi 11055

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52"

उपस्थिति —

1. अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से उनके प्रतिनिधि नपाराम उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 04.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से उनके प्रतिनिधि ने लिखित जवाब पेश किया। दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित होने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1 (42) 2011/रेल्वे/एफ.एस.एस.ए. आई (पार्ट–I) रेल्वे एफएसएसएआई दिनांक 28.03.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 23.09.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म M/s Doon Caterers 5198 Basant

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Road Paharganj New Delhi पर पहुंचा। जहा पर अरविन्द सिंह पुत्र सतेन्द्रसिंह यात्रियों को खाद्य पदार्थ बेच रहा था। जिसे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में Packaged Drinking Water Rail Neer रखा पाया जिसे अरविन्दसिंह यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु Packaged Drinking Water Rail Neer का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने से साथ आये गणपत एच के ए अधिन स्वास्थ्य निरीक्षक जोधपुर को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि Packaged Drinking Water Rail Neer का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Packaged Drinking Water Rail Neer की 16 बोतल प्रत्येक 01 लीटर वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 240/– रूपये नकद अरविन्दसिंह को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अरविन्द सिंह, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा Packaged Drinking Water Rail Neer नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अरविन्दसिंह की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अरविन्दसिंह गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–934 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अरविन्दसिंह व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को गणपत एच. के. ए. अधीन सी.एच.आई जोधपुर द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अरविन्द सिंह ने उक्त नमुने के संबंध में अग्रिम खरीद व संबंधित सप्लायर निर्माता आदि के संबंध में दस्तावेज मांगने पर खरीद बिल व संबंधित सप्लायर निर्माता से संबंधित दस्तावेज पेश करने मे असमर्थता व्यक्त की। अरविन्दसिंह की दुकान से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–934 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1698/एक्ट/2022/1700 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) Packaged Drinking Water Rail Neer का विक्रय/विनिमय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने संयुक्त रूप से अपने लिखित जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया Packaged Drinking Water Rail Neer का उत्पादन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया जाता है, जिस अवस्था में थोक विक्रेता से खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है जिसके लिए अप्रार्थीगण उत्तरदायी नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा Packaged Drinking Water Rail Neer के लेबलिंग एवं पैकेजिंग में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाता है। उक्त Packaged Drinking Water Rail Neer के मिथ्याछाप होने में अप्रार्थीगण का दोष न होकर निर्माता कम्पनी का दोष है। इसके अलावा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पेय पदार्थ की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमुना से आम जन के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पडता है, अतः अप्रार्थीगण के लिए नम्ररूख अपनाते हुए दोषमुक्त कर प्रकरण खारिज फरमावें।

अप्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Packaged Drinking Water Rail Neer 1 Liter का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमुना कोड एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 934 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Packaged Drinking Water Rail Neer 1 Liter का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 934 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Packaged Drinking Water Rail Neer का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded Food) Under Section 3(1)(Zf)(C) (I) As Per Food Safety And Standards Act 2006 पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पुर्ण कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत की गयी है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर किसी प्रकार का बिल पेश नहीं किया, ऐसे में समस्त उत्तरदायित्व अप्रार्थीगण का होता है। खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार Packaged Drinking Water Rail Neer 1 Liter पर एक्सपाईरी डेट लिखा नहीं पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिग और लेबलिंग) विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लघन पाया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

गया, जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) Packaged Drinking Water Rail Neer का विक्रय/विनियमन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 पर संयुक्तरूप से 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये कुल 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली